न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 238/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. तुलसाराम पुत्र हरचंदराम 2. जगमालराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई, निवासी बामड़ला, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर।		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्रीराम विश्नोई

दिनांक 29.11.2024

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण तुलसाराम पुत्र हरचंदराम वगैरा जातियान विश्नोई निवासी बामड़ला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खेत मौजा बामड़ला पटवार क्षेत्र बामडला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामडला तहसील सेड़वा में प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 759/166 रकबा 60.12 बीघा (वर्तमान रकबा 9. 5182 हैक्टेयर) किस्म बारानी दोयम एवं खसरा संख्या 99 रकबा 26.15 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 1071/99 एवं खसरा संख्या 99) किस्म बा0सोयम के आए हुए हैं। उक्त वर्णित खसरों में खसरा संख्या 759/166 रकबा 60.12 बीघा (वर्तमान रकबा 9.5182 हैक्टर) किस्म बारानी दोयम में से रकबा 1.16 बीघा एवं खसरा संख्या 99 रकबा 26.15 (वर्तमान खसरा संख्या 1071/99 एवं खसरा संख्या 99) किस्म बा0सोयम में से 0.13 बीघा भूमि का प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों ने आपसी सहमति से राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार शिविर में रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में आदेश क्रमांक/2018/46 दिनांक 28.06.2018 के तहत समर्पण किया गया था। वर्तमान समर्पण भूमि खसरा संख्या 1079/166 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1070/166 रकबा 0. 1781 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1067/99 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर अभी राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:40:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

दर्ज है। समर्पण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों ने आपसी सहमति से उक्त भूमि का रास्ते हेतु समर्पण करते समय हल्का पटवारी बामड़ला नक्शा सही ढंग से बनाकर प्रस्तुत किया और रकबा भी सही लिखा गया और समर्पण आदेश भी सही हुआ लेकिन बाद में नक्शा में तरमीम करते समय हल्का पटवारी द्वारा भूल–वश रास्ते हेतु समर्पण भूमि के कुछ हिस्से की तरमीम प्रस्तुत नक्शे अनुसार नहीं की गई। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु समर्पण भूमि की तरमीम वर्तमान में चल रहे चालू रास्ते के अनुसार एवं समर्पण आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/ 46 दिनांक 28.06.2018 के अनुसार करवाना चाहते है। आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में जो भूमि बरंग हरा के रूप में दर्शाई गई है, वहां पर तरमीम की जानी है यानि परिशिष्ट 'अ' के अनुसार प्रार्थीगण तरमीम दुरुस्त करवाना चाहते हैं एवं समर्पण आदेश भी इसी अनुसार है। जिस हेतु आवेदन वास्ते तरमीम दुरुस्ती का प्रस्तुत है। परिशिष्ट 'अ' एवं समर्पण आदेश को आवेदन का अभिन्न अंग समझा जावे। राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण भूमि खसरा संख्या 1079/166 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1070/166 रकबा 0.1781 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1067/99 रकबा 0.1052 हैक्टेयर की तरमीम मौके पर चल रहे रास्ते एवं तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/46 दिनांक 28.06.2018 एवं संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए अनुसार दुरुस्त करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस तलब किए। हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थी तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/1334 दिनांक 27.08.2024 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2024/3132 दिनांक 15.10.2024 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"ग्राम बामड़ला के खसरा संख्या 1067/99 रकबा 00.1052 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम एवं खसरा संख्या 1079/166 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम, खसरा संख्या 1070/166 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम की भूमि खाता संख्या राजस्थान सरकार के नाम वर्तमान में दर्ज है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:40:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उक्त खसरा संख्या 1067/99 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1079/166 रकबा 0.1133 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1070/166 रकबा 0.1781 हैक्टेयर का सृजन मूल खसरा संख्या 99, 759/166 में से राजस्थान सरकार के पक्ष में भूमि समर्पण करने पर तहसीलदार सेड़वा के आदेश कमांक/राजस्व/2018/47—49 दिनांक 28.06.2018 की पालना में ग्राम बामड़ला के नामान्तरकरण संख्या 1288 स्वी0 दिनांक 13.08.2018 द्वारा हुआ, लेकिन मूल खसरा संख्या 759/166 रकबा 60.12 बीघा में से भूमि समर्पण करने पर रकबा 01.16 बीघा (0.2914 हैक्टेयर) का नामान्तरकरण भूमि समर्पण आदेश एवं नक्शा अनुसार नहीं भरा गया। इसलिए वर्तमान खसरा संख्या 1070/166 रकबा 0.1781 हैक्टेयर का रकबा 0.1376 हैक्टेयर जिसे नक्शे में बरंग लाल तथा खसरा संख्या 1070/166 का शेष रकबा 0.0405 हैक्टेसर बरंग पीला दर्शाये गये स्थान पर तरमीम करते हुए नया खसरा का सृजन किया जाना है, जो भूमि समर्पण नक्शा अनुसार है। ग्राम बमड़ला के खसरा संख्या 1067/99 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण पुश्त पर एवं लट्ठा ट्रेस में भूमि समर्पण आदेश अनुसार तरमीम की गई, लेकिन डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राजस्व रेकॉर्ड (नक्शा) ऑनलाईन के समय खसरा संख्या 1067/99 रकबा 0.1052 हैक्टेयर की तरमीम भूमि समर्पण आदेश एवं लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार नहीं की गई। जिसे तरमीम लट्ठा ट्रेस व नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित अनुसर शुद्धि प्रस्तावित की है, जिसे संलग्न नक्शे में बरंग बैंगनी दर्शित किया है। खसरा संख्या 1079/166 रकबा 0.1133 हैक्टेयर की तरमीम सर्मपण आदेश एवं लट्ठा ट्रेस अनुसार ही की हुई होने से तरमीम शुद्धि नहीं करनी है। मुताबिक तहसीलदार तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन ग्राम बामड़ला के खसरा संख्या 1070/166 रकबा 0.1781 हैक्टेयर का रकबा 0.1376 हैक्टेयर बरंग लाल तथा खसरा संख्या 1070/166 का शेष रकबा 0.0405 हैक्टेयर बरंग पीला दर्शित स्थान पर नये खसरे का सृजन किया जाना प्रस्तावित है तथा खसरा संख्या 1067/99 रकबा 0.1052 हैक्टेयर की तरमीम भूमि समर्पण आदेश नामान्तरकरण पुश्त एवं लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम अनुसार शुद्धि प्रस्तावित है, जिसे संलग्न नक्शे में बैगनी दर्शाया गया है। खसरा संख्या 1079/166 रकबा 0.1133 हैक्टेयर की तरमीम सर्मपण आदेश एवं लट्ठा ट्रेस अनुसार ही की हुई है, तरमीम शुद्धि प्रस्तावित नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:40:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

गई है।'' मौका जांच तथ्यात्मक प्रतिवेदन में संबंधित पक्षकारान् के अंगूठे निशानात् व हस्ताक्षर अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 238/2024 अनवान तुलसाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजरथान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन ग्राम बामड़ला के खसरा संख्या 1070/166 रकबा 0.1781 हैक्टेयर में से रकबा 0.1376 हैक्टेयर बरंग लाल तथा खसरा संख्या 1070/166 का शेष रकबा 0.0405 हैक्टेयर बरंग पीला दर्शित के स्थान पर नये खसरे का सृजन किया जाना प्रस्तावित है तथा खसरा संख्या 1067/99 रकबा 0.1052 हैक्टेयर की तरमीम भूमि समर्पण आदेश नामान्तरकरण पुश्त एवं लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार शुद्धि प्रस्तावित है, जिसे संलग्न नक्शे में बरंग बैंगनी दर्शाया गया है, तद्नुसार **राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2024/3132 दिनांक 15.10.2024 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.10.2024, खसरा नक्शा व जमाबंद अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया।

29.11.2024

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:40:00 IST
Reason: SelfAttested